न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अ...

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. अ...
14/2/17	मुताबिक फरीकेन उपस्थित श्रीमान पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 18.4.17 [illegible] पत्रावली पूर्व [illegible] को पेश हो रीडर
18/4/17	पत्रावली [illegible] मुताबिक फरीकेन उप। आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदा0 में दिनांक 25/5/17 को पेश हो। ~~एस डी ओ~~/ रीडर
श्रीमान जी पत्रावली पेश है 14/6/17	
25/5/17	पत्रावली [illegible] मुताबिक फरीकेन उप। आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदा0 में दिनांक 8/6/17 को पेश हो। ~~एस डी ओ~~/ रीडर
8/6/17	कैम्प कोर्ट ब्लॉक में पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में डिक्री की पालना में पैरवी वकील ने सूचित किया कि डिक्री की पालना हो चुकी है अतः पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। नतीजा शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। नतीजा कैम्प कोर्ट में लिखकर सुनाया गया।

Scanned by CamScanner

नकल निर्णय दिनांक 23/9/16, नकल पर्चा डिक्री दिनांक 23/9/16
दावा सं० 287/13 रामकरण बनाम मामन ..

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
287 / 2013	10.12.2013	23-09-16

अनुवान

1. रामकरण पुत्र पूर्ण जाति गूजर निवासी ग्राम बैराहेडी़ तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

:-प्रतिवादी

बनाम

1. मामन
2. बाबूलाल
3. हुक्मसिंह
4. हंसराज पुत्रान श्री इन्द्राज जाति अहीरान ग्राम पाटनअहीर
5. भागीरथ पुत्र मंगतू
6. .हरचन्दी
7. पतास
8. लाली
9. बल्ला पुत्रीयान मंगतू
10. कौशल्या पत्नी श्रीया
11. काशीराम पुत्र श्रीया फौत
12. दाताराम
13. ओमप्रकाश
14. राजबीर पुत्रान श्रीया
15. सन्तोष
16. सुरेश पुत्रीयान श्रीया
17. बदलू पुत्र हरदेव
18. ~~सूरजी पत्नी रिछपाल~~ हजफ
19. भागन
20. छाजू पुत्रान रिछपाल
21. बिशम्बरदयाल
22. यादराम पुत्रान श्री हीरालाल
23. बिश्ना पुत्री हीरालाल
24. अणची पत्नी हीरालाल
25. थावरिया पुत्र लालमन फौत

25 / 1. राजेन्द्र
25 / 2. चरणसिंह पुत्र थावरिया

सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

3. शबतदेवी पत्नी थावरिया
4. नीलम पुत्री थावरिया जाति गुर्जरान ग्राम झडझीला की ढाणी तह0 किशनगढबास
जि0 अलवर राज.
5. रामचन्दर पुत्र कान्हा फौत
6/1. बाबूलाल
26/2. बनवारी
26/3. दुल्ली पुत्रान रामचन्दर
27. हनुमान
28. रामकंवार
29. अमरसिंह
30. श्योनारायण पुत्रान कान्हा
31. बलबीर पुत्र जाहर
32. कृष्ण पुत्र जाहर फौत
32/1. भूपसिह
32/2. विक्रम पुत्रान कृष्ण
33. मोटा
34. भगौती पुत्रीयान जाहर
35. धुन्धा पत्नी जाहर
36. अतर
37. सुन्दर
38. चरण पुत्रान फकीरा
39. कमलेश
40. मतलैश पुत्रीयान फकीरा
41. सन्तरा पत्नी फकीरा
42. कान्हा पुत्र खेमराम फौत जाति गुर्जरान निवासीयान ग्राम झडझीला तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0
43. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा हरसौली जरिये शाखा प्रबंधक हरसौली
44. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज.

:–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक, इन्द्राज दुरुस्ती
मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

मिलान किया गया
सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

दो रुपये TWO RUPEES
FOR COPYING FEES ONLY

हेतरामगूर्जर अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादीगण द्वारा एक वाद इश्तकरार हक, इन्द्राज दुरुस्ती मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 206/7–13 बीघा वाके ग्रम कादैंया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 वादी ने आराजी मुतदाविया प्रभू, तल्ला, भैरू, उमराव पुत्रान गाहडिया जाति गुर्जर ग्राम झडझीला से खसरा नम्बर 206/7–13 बीघा मे से 5/18 हिस्सा जरिये बैयनामा दिनांक 22.5.1992 को खरीद किया तथा जिसका नामान्तरकरण सं0 212 दर्ज हुआ। इसी कदर वादी ने उक्त आराजी मे सें हंसा स्त्री सुलतान , माया, कृष्णा पुत्रीयान सुलतान का हिस्सा 1/36 भाग में से तिहाई हिस्सा व 1/8 में से तिहाई हिस्सा जरिये बैयनामा दिनांक 27.5.1994 को खरीद किया। इसी कदर वादी ने उक्त आराजी में से रामसिंह पुत्र मंगतराम जाति गुर्जर ग्राम झडझीला का हिस्सा 11/1296 जरिये बैयनामा दिनांक 11.9.1999 को खरीद किया इस तरह उक्त आराजी मे तीनो बैयनामो के मुताबिक उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्तकार वादी शांतिपूर्वक चला आ रहा है। मगर राजस्व जमाबंदी में उक्त बैयनामो का नामान्तरकरण सही से दर्ज नही हो सके और जमाबंदी में सही अमल नही आ सका । इसके लिये इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज का वाद पेश करना लाजिम आया है ताकि जमांबदी में वादी द्वारा खरीदशुद्दा भूमि का अंकन सही हो सके और खातेदार काश्तकार दर्ज हो सके। मिन वादी ने उक्त बैयनामो के मुताबिक राजस्व रिकोर्ड में अपने हिस्से का सही इन्द्राज करवाने के लिये प्रतिवादीगणो से दिनांक 4.12.2013 को निवेदन किया तो उन्होंने अदालती कार्यवाही कर दुरूस्त कराने को कहा जिससे कि अविलम्ब ही यह दावा हाजा पेश करना लाजिम आया है। मिन वादी के दावा हाजा में हक हकूक कानूनन रक्षित है। इसलिये मिन वादी को अपने हकूको की रक्षार्थ यह वादपत्र पेश करना लाजिम आया है। विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 43 के बैंक में रहन होने के कारण उसे पक्षकार मुकदमा बनाया है। वादपत्र हेतू बिनायदवामी व बिनायमुखासमत दिनांक 4.12.2013 को पैदा हुई हैं जिससे कि वादपत्र अन्दर अवधि पेश है। इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज के वाद में कानूनन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। प्रतिवादी सं0. 44 को वादपत्र में पक्षकारमुकदमा बनाने से पूर्व उसे 80 जा. दी. के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु मिन वादी को राजस्व रिकोर्ड में सही इन्द्राज दर्ज अति शीघ्र कराकर किसान क्रेडिट कार्ड आराजी के विस्तार हेतु बनवाना है जिससे कि मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं0 44 को वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उसे 80 जा. दी. के तहत माह का नोटिस दिया जाना संभव नहीं हुआ। इसलिये उसे रफाऐं उजप्रत 80 (2) जा0 दी0 का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है। अतः वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण अ. डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 206/7–13 बीघा वाके ग्राम

मिलान किया गया
सुना

सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

तहसील कोटकासिम अलवर का वादी को 5/18 भाग व 1/36 भाग में से तिहाई व 1/8 हिस्से में से तिहाई हिस्सा व 11/11296 हिस्से का खातेदार काश्तकार किया जावे व इसी कदर जमाबंदी में अमल किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया।

प्रति0 1 से 43 की बावजूद सूचना के उपस्थिति नहीं होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रति–44 पेरोकार सरकार के जवाब पेश किया कि आराजी मुतदाविया पक्षकारान श्यामलाती खातेदारी की है। बैंक रहन होने से सम्बन्धित बैंक को सुना जाने का जवाब में उल्लेख किया गया।

वादी द्वारा दस्तावेजात प्रदर्श पी–1 नकल जमाबंदी सम्वत 2067–2070, प्रदर्श पी–2 नकल जमाबंदी सम्वत 2047, प्रदर्श पी–3 नकल जमाबंदी सम्वत 2051, प्रदर्श पी–4 नकल नामान्तरकरण सं0 212, प्रदर्श पी–5 नकल नामान्तरण सं. 223, प्रदर्श पी–6, 7 नकल जमाबंदी सं. 2059–2062, प्रदर्श पी–8, 9 नकल जमाबंदी सं. 2067–2070, प्रदर्श पी–10 छायाप्रति बयनामा दिनांक 22–5–1992, प्रदर्श पी–11 छायाप्रति बयनामा दिनांक 27.5.1994 पेश किया।

साक्ष्य वादी पी डब्ल्यू– 1 रामकरण, पी डब्ल्यू–2 अमरसिंह के हल्फनामा पेश कियें।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई

वादी वकील अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादी का दावा डिक्री किया जावें रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

मेरे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली में पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकोर्ड जमाबन्दी नामान्तरण व बयनामा से वादीका रिकोर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वादी का वाद डिक्री किया जाता है विवादित आराजी हाल ख0नं0 206 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बैराहेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर में भागीरथ पुत्र व हरचन्दी पतास लाली बल्ला पुत्री मंगतू 185/6480 को कलमजन किया जाता है।

मिलान किया गया सुना

सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

स्थान पर भागीरथ पुत्र हरचन्द व पतास, लाली, बल्ला पुत्री के 11/216 में से रण पुत्र पूर्ण को 1/6 भाग पर, रामकरण पुत्र पूर्ण गूर्जर के 37/6480 दर्ज हिस्से के पर 11/216 पर, कौशल्या पत्नि व काशीराम, दाताराम, ओमप्रकाश, राजबीर पुत्रान व तोष, सुरेश पुत्रियान श्रीया को 37/1080 के स्थान पर 11/216 भाग पर, रामकरण पुत्र के 91/1080 के स्थान पर 5/18 भाग पर, रामचन्द्र, हनुमान, रामकुंवार, अमरसिंह, योनारायण पिता कान्हा 5/8 के स्थान पर 5/18, बलबीर कृष्ण पुत्रान भोटा व भगोती पुत्रीयान धुन्धा पत्नि जहार 5/48 के स्थान पर 5/108 भाग पर, अतर, सुन्दर, करण पुत्रियान व कमलेश, मतलेश पुत्रीयान व सन्तरा पत्नि फकीरा 1/48 दर 1/3 के स्थान पर 1/108 दर 1/3 भाग पर, खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदार हिस्सा बदस्तूर रहेगें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावें पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23-09-16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह लिम्बी)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम अलवर राज०

सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

मिलान किया गया
पढ़ा सुना

FOR COPYING FEES ONLY
COURT FEE
भारत INDIA
दो रुपये TWO RUPEES
Rs. 2